बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग
आदेश

संख्या–3/विविध–01–03/2015– 289(3) /स्वा०, पटना, दिनांक : 05/04/2020

विभागीय आदेश सं0 240(3) दिनांक 13.03.2020 द्वारा कोरोना वायरस से उत्पन्न संकमण के रोक–थाम एवं इसके निरोधात्मक उपाय हेतु विशेष चौकसी एवं अनुश्रवण की आवश्यकता को देखते हुए राज्य के सभी चिकित्सा पदाधिकारियों, संविदा नियोजित सहित, (चिकित्सा पदाधिकारी से लेकर निदेशक प्रमुख तक, प्राचार्य/अधीक्षक चिकित्सा महाविधालय अस्पताल से लेकर जूनियर रेजिडेंट तक एवं निदेशक, विशिष्ट चिकित्सा संस्थान) तथा राज्य के सभी स्वास्थ्य कर्मियों, संविदा नियोजित सहित, (यथा स्वास्थ्य प्रशिक्षक, पारा मेडिकल्स, जी0एन0एम0, ए0एन0एम, शल्य कक्ष सहायक, लैब टेक्नीशियन, सभी चतुर्थ कर्मी इत्यादि) का सभी प्रकार के अवकाश (अध्ययन अवकाश एवं मातृत्व अवकाश को छोड़कर) को 31 मार्च 2020 तक रद्द किया गया था । COVID-19 के बढ़ते प्रकोप एवं निरन्तर स्वास्थ्य प्रबंधन को देखते हुए यह आदेश तत्काल 30 अप्रैल, 2020 तक विस्तारित किया जाता है ।

2. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

5.4.2020
(अनिल कुमार)
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांकः 3/विविध–01–03/2015– 289 (3) /स्वा0, पटना, दिनांक : 05/ 04/2020

प्रतिलिपिः सचिव–सह–कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना/मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, बिहार स्वास्थ्य सुरक्षा समिति, पटना/सभी प्रमंडलीय आयुक्त, बिहार/सभी जिला पदाधिकारी, बिहार/सभी क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवायें, बिहार/सभी सिविल सर्जन, बिहार/सभी प्राचार्य/अधीक्षक, चिकित्सा महाविधालय अस्पताल, बिहार/सभी अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, बिहार/सभी अधीक्षक/उपाधीक्षक, सदर अस्पताल, बिहार/सभी निदेशक, विशिष्ट चिकित्सा संस्थान, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य के प्रधान आप्त सचिव/मुख्यालय में पदस्थापित सभी पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेवसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

5.4.2020
सरकार के संयुक्त सचिव

D:\Old_System_backup\Old System Data\New folder\2020\Order-7.1.2020.docx-13032020\05042020